झारखण्ड सरकार,
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ।

संख्या वन्य प्राणी–8/2000–1308 व०प०, राँची, दिनांक– 10 मई, 2001 ई०

सेवा मे,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची ।
द्वारा– वित्त विभाग ।

विषयः–जंगली जानवरों द्वारा जान–माल की क्षति के फलस्वरुप मुआवजे का भुगतान।

आदेशः– स्वीकृत ।

2– इस मद के अंतर्गत व्यय को जानेवाली राशि का वहन बजट शीर्ष गैर–योजना–2406 वानिकी और वन्य जीवन–उपशीर्ष–01 वानिकी लघु शीर्ष–001 निदेशन एवं प्रशासन प्राथमिक इकाई जंगलो जानवरों के कारण मृत्यु तथा क्षति के लिए मुआवजा के अंतर्गत किया जायेगा ।

राज्य सरकार द्वारा उपरोकत विषय पर जंगली जानवरों के द्वारा जान–माल के नुकसान होने पर मुआवजा के संबंध में समुचित विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जंगली जानवरों द्वारा जान–माल की क्षति की दिशा में निम्न प्रकार से सहाय्य राशि का भुगतान किया जायेगा ।

(क) मनुष्य की मृत्यु होने पर 1,00,000.00 (एक लाख रुपये) प्रति व्यक्ति

(ख) गंभीर रुप से चोट लगने पर 33,333.00(तैतीस हजार तीन सौ तैतीस रुपये) प्रति व्यक्ति इस मुआवजे का भुगतान भारत सरकार द्वारा सम्पोषित विभिन्न वन्य प्राणी योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध राशि के आधार पर किया जायेगा तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा । जिन स्थानों पर किसी वन्य प्राणी योजना के तहत मुआवजे के भुगतान का प्रावधान नहीं है या वनेत्तर क्षेत्रों के लिए भारत सरकार के पत्रांक–19–''8/99 डब्ल्यू०आई०एल० दिनांक– 22.12.99 में कोई स्पष्ट निदेश नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार की असहमति होने पर यह राशि राज्य सरकार द्वारा वाहन की जायेगी मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया की त्वरित करने के दृष्टिकोण से राज्य स्तर पर निम्नाकिंत समिति का गठन किया जाता है जिसकी अनुशंसा के आधार पर संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी मुआवजे की राशि का भुगतान करेंगे ।

(क) मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची	–	अध्यक्ष
(ख) वन संरक्षक (मुख्यालय) रांची	–	सदस्य
(ग) वन संरक्षक, वन्य प्राणी अंचल, राँची	–	सदस्य
(घ) वन प्रमंडल, पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल राँची	–	सदस्य
(ड़) वन प्रमण्डल पदाधिकारी संबंधित प्रादेशिक प्रमंडल	–	सदस्य

यह समिति निम्न प्रकार से कार्य करेगी :–

(क) घटना की सूचना पाने पर संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी चौबीस घंटो के अन्दर अपने निरीक्षण प्रतिवेदन समिति को प्रतिवेदन करेंगें ।

(ख) समिति की बैठक साधारण एक माह के अन्दर करायी जायेगी ।

(ग) इस मुआवजे की राशि उसी परिस्थिति में देय होगी जब कि मृतक प्रभावित परिवार का अर्निग (कमाऊ) सदस्य हो । मृतक के निकटस्य आश्रित को 25 प्रतिशत राशि यानि 25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये) का भुगतान तत्काल संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(घ) शेष 75,000 (पचहत्तर हजार रुपये) का भुगतान मृतक के निकटस्य आश्रित को राज्य समिति की अनुशंसा के उपरान्त संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(ड़) मुनष्य को गहरी चोट लगने पर निर्धारित राशि 33,333.00 (तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस रुपये) का 25 प्रतिशत अर्थात 8,333 (आठ हजार तीन सौ तैंतीस रुपये) तत्काल एवं शेष राशि जॉचोपरान्त एवं समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जाएगी ।

(च) मुआवजे के भुगतान की राशि की उपरोक्त परिवर्तित दर 22 दिसम्बर, 1999 से लागू माना जायगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

महावीर राम

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड सरकार,
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ।

संख्या वन्य प्राणी–8/2000–3550 व०प०, राँची, दिनांक– 09.08.2002

सेवा मे,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची ।
द्वारा– वित्त विभाग ।

विषयः– जंगली जानवरों द्वारा जान–माल फसल, फालतु जानवर एवं माकन की क्षति के फलस्वरुप मुआवजा का भुगतान ।

आदेशः– स्वीकृत ।

2– इस मद के अंतर्गत व्यय को जानेवाली राशि का वहन बजट शीर्ष गैर–योजना–2406 वानिकी और वन्य जीवन–उपशीर्ष–01 वानिकी लघु शीर्ष–001 निदेशन एवं प्रशासन प्राथमिक इकाई जंगली जानवरों के कारण मृत्यु तथा क्षति के लिए मुआवजा के अंतर्गत किया जायेगा ।

3– राज्य सरकार द्वारा उपरोकत विषय पर जंगली जानवरों के द्वारा जान–माल, फसल, पालतु जानवर एवं माकन की क्षति की दशा में निम्न प्रकार से सहाय्य राशि का भुगतान किया जायेगा ।

(क) फसल के क्षति पर देय सहायक राशि उसके वास्तविक आकलन के आधार पर होगा परन्तु इसकी अधीकतम सीमां 2,500.000 (दो हजार पाँच सौ रुपये) प्रति हे० होगा ।

(ख) मकानों की क्षति पर निम्न प्रकार से सहाय्य राशि का भुगतान किया जायेगा ।

(i) **पूर्ण रुप से क्षतिग्रस्त मकान :–**

(ए) पक्का मकान – 10,000.00 (दस हजार रुपये) प्रति मकान
(बी) कच्चा मकान– 6, 000.00 (छः हजार रु०)

(ii) **गंभीर रुप से क्षतिग्रस्त मकान :–**

(ए) पक्का मकान– 2,000.00 (दो हजार रु०) प्रति मकान
(बी) कच्चामकान– 1,000.00 (एक हजार रु०) प्रति मकान

(iii) **साधारण रुप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 800.00 (आठ सौ रु०) प्रति मकान**

(ग) भंडारित अनात के क्षति पर 200.00 (दो सौ रु०) प्रति क्विंटल परन्तु अधिकतम सीमा– 1000.00 (एक हजार रु०) होगी ।

(घ) भैस/गाय/बैल की मृत्यु पर 3000.00 रु० (तीन हजार रु०) प्रति पशु की दर से मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा ।

(ड़) भेड़/बछड़ा की मृत्यु पर 500.00 (पॉच सौ रु०) प्रति पशु तथा बकरी की मृत्यु पर 1000.00 (एक हजार रु०) प्रति पशु दर से मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा ।

4. मकान, फसल, भंडारित अनाज एवं पालतू जानवर की क्षति का आकलन वन क्षेत्र पदाधिकारी और अंचलाधिकारी/उपायुक्त द्वारा प्रति नियुक्त दंडाधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से घटना के एक सप्ताह के भीतर किया जायेगा तथा अपना प्रतिवेदन संबंधित प्रादेशिक वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा जो उन सभी मामलों में तुरंत भुगतान की व्यवस्था करेंगें ।

5. जंगली जानवरों द्वारा फसल, मवेशी, भंडारित अनाज एवं मकान की क्षति होने पर उक्त दर पर मुआवजे का भुगतान, आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जोयगा ।

6. झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण मत्रांलय के ज्ञाप संख्याा– वन्य प्राणी–8/2000–1308 दिनांक– 10.05.2001 की कंडिका–4 एवं ज्ञाप सं०– वन्य प्राणी–8/2000–1408 दिनांक– 26.03. 2002 के कंडिका –4 द्वारा मुआवजे के भुगतान की अनुशंसा हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति को विलोपित करते हुए मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया के त्वरित करने के दृष्किोण से यह शक्ति अब संबंधित प्रादेशिक वन प्रमंडल पदाधिकारी को प्रत्यायोजित की जाती है ।

7. पूर्व में जंगली जानवरों से हुए जानमाल की क्षति मृत्यु सहित से संबंधित भुगतान का जो मामला इस आदेश के निर्गत की तिथि को लंबित हे उसके बारे में भी संबंधित प्रादेशिक वन प्रमंडल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करते हुए निर्णय लेगे ।

उपार्युक्त कंडिका के अतिरिक्त विभागीय आदेश ज्ञाप सं०— वन्य प्राणी—8/2000—1308 दिनांक— 10.05.2001 एंव ज्ञाप संख्या वन्य प्राणी7 8/2000—1408 दिनाक—26.03.2002 में किये गये अन्य प्रावधान यथावत रहेगें ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश सें,

ह०/—

(विनोद शंकर लाल)

सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार,
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ।

संख्या वन्य प्राणी–8 / 2000–1408 व०प०, राँची, दिनांक– 26.03.2002

सेवा मे,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची ।
द्वारा– वित्त विभाग ।

विषयः–जंगली जानवरों द्वारा जान–माल की क्षति के फलस्वप मुआवजे का भुगतान ।
आदेशः– स्वीकृत ।

2– इस मद के अंतर्गत व्यय को जानेवाली राशि का वहन बजट शीर्ष गैर–योजना–2406 वानिकी और वन्य जीवन–उपशीर्ष–01 वानिकी लघु शीर्ष–001 निदेशन एवं प्रशासन प्राथमिक इकाई जंगली जानवरों के कारण मृत्यु तथा क्षति के लिए मुआवजा के अंतर्गत किया जायेगा ।

3– झारखण्ड सरकार, वन एंव पर्यावरण मंत्रालय के ज्ञाप संख्या– वन्य प्राणी–08 / 2000–1308 दिनांक–10.05.2001 के सभी सोपरान्त उक्त आदेश में निहित ''मृतय के कमाऊ'' होने के शर्त को विलोपित किया जाता है , एवं जंगली जानवरों के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मारे जाने / गंभीर रुप से घायल किये जाने की स्थिति में दिये जाने वाली मुआवजे की राशि को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

(क) 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति (व्यस्क) की मृत्यु पर 100000 / – (एक लाख रुपये) मात्र प्रति व्यक्ति की दर से तथा गंभीर रुप से घायल होने पर मो० 33,333.00 (तैंतीस हजार तीन सौ रुपये) मात्र प्रति व्यक्ति की दर से उनके आश्रितों अथवा प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा ।

(ख) 18 वर्ष कम आयु के व्यक्ति के (अव्यस्क) की मृत्यु पर मो० 50,000 / – (पचास हजार रुपये) मात्र प्रति व्यक्ति की दर से तथा गंभीर रुप से घायल होने पर मो० 16,666 / – (सोलह हजार छः सौ छियासट रुपये) मात्र प्रति व्यक्ति दर से उनके आश्रितों अथवा प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा ।

4– झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, के **ज्ञापसंख्या–** 1308 दिनांक–10.05.2001 के कंडिका के द्वारा गठितराज्य स्तरीय समिति में वन संरक्षक, वन्य प्रणी अंचल रांची को '' सदस्य सचिव'' के रुप में मानोनित किया जाता है ।

उपर्युक्त कंडिका के अतिरिक्त विभागीय आदेश **ज्ञापसंख्या–वन्य प्राणी**, 8 / 2000–1308 **दिनांक–** 10.05.2001 में किए गए सभी प्रावधान यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह० / –
(सी०पी० बाखला)
सरकार के उपसचिव

झारखण्ड सरकार,
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ।

संख्या वन्य प्राणी–8 / 2000–4058 व०प०, राँची, **दिनांक– 19.08.2006**

सेवा मे,

महालेखाकार
झारखण्ड, रांची ।
द्वाराः– वित्व विभाग

विषयः– जंगली जानवरों द्वारा जान–माल की क्षति के फलस्वरुप मुआवजा भुगतान के संबंध मे ।
आदेशः– स्वीकृत

2– इस पद के अन्तर्गत व्यय किये जानेवाली राशि का वहन बजट शीर्ष–गैर योजना–2406 वानिकी और वन्य जीवन– उपशीर्ष 01 वानिकी लघुशीर्ष 001 निर्देशन एवं प्रशासन

प्राथमिक इकाई, जंगली जानवरों के कारण मृत्यु तथा क्षति के लिए मुआवजना के अंतर्गत किया जायेगा ।

3– राज्य सरकार द्वारा जंगली जानवरो से जानमाल, फसल पालतु जानवर एवं मकान का नुकसान होने पर मुआवजना राशि के भुगतान के संबंध में निम्न प्रकार सूची में निर्गत किये गये हैं–

(क) ज्ञापांक संख्या वन्य प्राणी– 8/2000– 1308 दिनांक– 10.05.2001

(ख) ज्ञापांक संख्या – वन्य प्राणी– 8/2000–1408 दिनांक– 26.03.2002

(ग) ज्ञापांक सख्या– वन्य प्राणी – 8/2000–3550 दिनांक– 09.08.2002

उपरोक्त निर्गत आदेशों में मुआवजा भुगतान के क्रम में विभिन्न व्यावहारिक कठिनाईयों को देखते हुए उन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये गये है :–

1. विभागीय ओदश संख्या– 1408 दिनांक– 26.03.2002 की कंडिका–3 (क) में 18 वर्ष के अधिक आयु के व्यक्ति (व्यस्क) की मृत्यृ पर एवं गभीर रुप से घायल होने पर प्रति व्यक्ति मुआवजना के भुगतान का प्रावधान है, जिससे 18 वर्ष के व्यक्ति (व्यस्क) मुआवजा पाने से वचित रह जाते थे । अतः इस कंडिका के संबंधित भाग को संशोधित किया गया है कि जिसके तहत उक्त 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति (व्यस्क) को मुआवजा का भुगतान किया जायेगा ।

2. जंगली जानवरों द्वारा मुनष्य के स्थायी रुप से अक्षम किये जाने पर उपरोक्त आदेश में कोई प्रावधान नही किया गया था । अतः 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के (व्यस्क) मनुष्य की स्थायी अक्षमता पर 1, 00, 000.00/– (एक लाख रुपये) प्रति व्यक्ति तथा 18 वर्ष से कम आयु के (अव्यस्क) मुनष्य का स्थायी अक्षमता पर 50,000/– (पचास हजार रुपये) प्रति व्यक्ति मुआवजा भुगतान किया जायेगा ।

3. विभागीय ओदश संख्या– 1408 दिनांक– 26.03.2002 के कांडिका (क) एवं (ख) में व्यवस्क एवं अवस्क मुनष्य के गंभीर रुप से घायल होने पर क्रमशः 33,333/– (तैंतीस हजार तीन सौ रुपये) एवं 16,666/– (सोलह हजार छः सौ छियासठ रुपये) प्रति व्यक्ति की दर से उनके निकवस्य आश्रितों अथवा प्रभावित व्यकित को मुआवजा भुगतान के लिए प्रावधान किया गया है । परन्तु इससें तत्काल राहत देने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। इसमें हो रही कठिनाइयों को देखते हुए अब 18 एवं उससे अधिक आयु (व्यस्क) के मनुष्य तथा

18 वर्ष के कम आयु (अव्यस्क) के मनुष्यो को गंभीर रुप से घायल होने पर 25 प्रतिशत राशि क्रमशः 8333/– (आठ हजार तीन सौ तैंतीस रुपय) एवं 4166/– चार हजार एक सौ छियासठ रुपये तत्काल प्रभावित व्यक्ति के निकटस्व आश्रित अथवा प्रभावित व्यक्ति को संबंधित प्रादेशित प्रमंडल प्रदाधिकारी/वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमंडल द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

वन्य प्राणी द्वारा व्यस्क एवं अव्यस्क मनुष्य को गंभीर रुप से घायल करने पर शेष 75 प्रतिशत राशि अन्य पूर्व निर्णीत औपचारिकता पूरी होने पर संबंधित प्रोदशिक वन प्रमंडल पदाधिकारी/ वन प्रमंडल पदाधिकारी वन्य प्राणी प्रमंडल द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

4. जंगली जानवरों द्वारा मनुष्य को हल्की चोट या हल्के रुप से घायल किये जाने की स्थिति में किसी प्रकार के मुआवजा भुगतान का प्रावधान पूर्व में नहीं था । हल्की चोट या हल्के रुप से घायल होने की स्थिति में प्रभावित व्यकित को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक हैं । अतः हल्की चोट या हल्के रुप से घायल होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति या उसे निकटस्थ आश्रित को इलाज पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए अधिकतम 5,000/– (पॉच हजार रुपये) प्रति व्यक्ति की दर से अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान संबंधित प्रादेशिक वन प्रमंडल पदाधिकारी/ वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमंडल द्वारा किया जायेगा ।

5. विभागीय आदेश संख्या–3550 दिनांक– 09.02.2002 की कंडिका–4 में मकान, फसल भण्डारित अनाज एवं पालतू जानवर की क्षति का आवकलन वन क्षेत्र पदाधिकारी और अंचलाधिकारी/ उपायुक्त द्वारा प्रतिनियुकत दण्डाधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से घटना के एक सप्ताह के भीतर करने तथा प्रतिवेदन संबंधित प्रादेशिक वन प्रमंडल पदाधिकारी को देने का प्रावधान है । परन्तु प्रभावित मुनष्य की मृत्यु स्थायी अक्षमता/गहरी चोट/ हल्की चोट एवें हल्के रुप से घायल होने की स्थिति में आकलन की व्यवस्था नही की गई थी । प्राथमिक व्यक्ति की स्थिति में आंकलन प्रादेकशिक वन प्रमंडल पदाधिकारी/ वन प्रमंडल पदाधिकारी वन्य प्राणी प्रमंडल द्वारा किया जायेगा ।

(क) स्थायी अक्षमता/ गंभीर एवं हल्की चोट की स्थिति में/ 1. घटना को सत्यापित करने से संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी और अंचलाधिकारी/ उपायुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त

दडांकधिकारी का संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन । 2. प्रस्तावित व्यक्ति/ आश्रित द्वारा थाना में समर्पित प्राथमिक की प्रति । 3. सिविल सर्जन अथवा उकने द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रामण पत्र जिसमें स्थायी अक्षमता या गंभीर/हल्की चोट का उल्लेख हो । 4. अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत उतराधिकारी प्रमाण पत्र ।

(ख) मृत्यु होने की तिथि मे/ 1. घटना को सत्यापित करने से संबंधित क्षेत्र पदाधिकारी और अंचलाधिकारी/ उपायुकत द्वारा प्रतिनियुक्त दडाधिकारी का संयुक्त सत्यापन/जॉच प्रतिवेदन । 2. प्रभावित व्यक्ति/ आश्रित द्वारा थाना में दायर की गयी प्राथमिकी की प्रति । 3. मृत्यु प्रमाण पत्र । 4. अन्तपरीक्षण प्रतिवेदन । पोस्टमार्टम रिर्पोट 5. अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत उतराधिकारी प्रमाण पत्र । आदेश सं.– 1308 दिनांक– 10.05.2001, 1408 दिनांक– 26.03.2002 एवं 3550 दिनांक– 09.02.2002 के अन्य प्रावधान यथावत रहेगें । ये आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माने जायेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेशो,
ह/– सुबास चन्द्र सिन्हा,
सरकार के उप सचिव ।